महत्वपूर्ण

संख्याः– 56 /अड़तीस–9–13–500(1)/2013

प्रेषक,

बी0पी0 सिंह
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उ0प्र0।

ग्राम्य विकास अनुभाग–9 लखनऊ दिनांक 12 फरवरी, 2013

विषयः–विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्त के परिशिष्ट–2 के बिन्दु संख्या–8 के उप–प्रस्तर बिन्दु संख्या–8(क) के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्त के परिशिष्ट–2 के बिन्दु संख्या–8 के उप–प्रस्तर बिन्दु संख्या–8(क) में किये गये प्राविधानों के क्रम में कतिपय जनपदों द्वारा इस बिन्दु पर शासन के दिशा–निर्देश मांगे गये है कि संस्थाओं हेतु निर्धारित 25.00 लाख की सीमा एक वित्तीय वर्ष के लिये है अथवा संस्था को योजना आरम्भ से अब तक कुल प्राप्त धनराशि से है।

2– उल्लेखनीय है कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक–29.11.2012 द्वारा न कराये जाने वाली सूची परिशिष्टि–2 के बिन्दु संख्या–8 में बिन्दु संख्या–8(क) में निम्नवत् प्राविधान किये गये है:–

"निधि से किसी ऐसी संस्था के कार्यों की अनुशंसा नहीं की जायेगी जहॉ अनुशंसा करने वाले मा0 सदस्य अथवा उनके परिवार का कोई भी सदस्य उस सोसाइटी/ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं। जहॉ मा0 सदस्य/परिवार के सदस्य संस्था चलाने वाली सोसायटी/ट्रस्ट में किसी पद पर पदासीन नहीं हैं, तो ऐसी संस्थाओं को रू0 25.00 लाख की धनराशि से अधिक के प्रस्ताव नहीं किये जा सकेंगे। यदि ऐसी संस्था को योजना से रू0 25.00 लाख की धनराशि प्राप्त हो चुकी है, तो अग्रेतर कार्यों के लिये अनुशंसा नहीं की जा सकेगी, किन्तु यदि किसी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा संचालित निजी क्षेत्र में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अथवा शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत कोई संस्था है जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित है, एवं उक्त ट्रस्ट/सोसाइटी में मा0 सदस्य स्वयं अथवा उनके परिवार के सदस्य अवैतनिक रूप से पदाधिकारी हैं, तो ऐसी संस्था को उक्त निधि से धनराशि स्वीकृत करने हेतु सन्दर्भगत प्रतिबन्धों से छूट प्रदान करने के प्रकरणों पर मा0 अध्यक्ष, विधान सभा की अध्यक्षता अथवा उनके निर्देशानुसार गठित विधान मण्डल सदस्यों की समिति द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। परिवार के सदस्यों के अन्तर्गत मा0 विधान मण्डल के सदस्यों के माता–पिता, भाई एवं बहन, बच्चे, पोते–पोतियॉ और उनके पति अथवा पत्नी और उनके ससुराल के लोग शामिल होगें।"

3— उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में न कराये जाने वाली सूची परिशिष्टि–2 के बिन्दु संख्या–8 में बिन्दु संख्या–8(क) में किये गये प्राविधानों के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में किसी भी संस्था को रू0 25.00 लाख की सीमा से अधिक की धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी। कृपया उक्त स्थिति से अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बी0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

संख्या– 56 (1)/अड़तीस–9–2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1— आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
2— समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3— समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4— समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5— गार्डबुक।

आज्ञा से,

(बी0पी0 सिंह)
अनु सचिव।